न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 107/24 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2024/429

1. प्यारा पिता कालु जी जाति डांगी उम्र–वयस्क, निवासी–नामरी, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. दीपा पिता कालु जी डांगी निवासी नामरी तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम

1. श्री देउबाई पत्नी वसा जी जाति डांगी उम्र–वयस्क, निवासी–नामरी तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
3. पटवारी पटवार हल्का नामरी तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री नाथूलाल गर्ग, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

निर्णय

दिनांक : 09.06.2025

1 प्रार्थीगण द्वारा विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादीया ने हम प्रतिवादीगण को धोखे में रख कर उक्त वाद न्यायालय में हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है तथा उक्त वाद में वादीया ने न्यायालय के समक्ष झुठे तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत कर गलत तरीके से हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद एक तरफा डिक्री करवाया है। वादीया के पिता वसा द्वारा वादीया की सहमति से उनकी सम्पुर्ण जमीन का हक त्याग दिनांक–19.06.2012 को हम प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था, वादीया ने हक त्याग निष्पादित करवाने के बाद हम प्रतिवादीगण एवं उसके पिता के विरूद्ध दिनांक 01.08.2012 को एक वाद अन्तर्गत धारा–88–188 राजस्थान टीनेसी एक्ट एवं अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेसी एक्ट के तहत् प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या–216/2012 जिसके सम्भावगुण के उपरान्त वादीया ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि के बाबत् राजीनामा लिख कर उपरोक्त वाद दिनांक 18.06.2013 को नोटप्रेस कर दिया गया था, जिसके करीब दो वर्ष बाद वादीया ने पुनः उक्त वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें न्यायालय को हम प्रतिवादीगणो के पक्ष में अपने पिता जी द्वारा निष्पादित हक त्याग के तथ्य को छिपाते हुऐ दावा प्रस्तुत किया है, इस तरह पूर्ववृति दावे के पेश होने के बात भी न्यायालय को नहीं बताई इस तरह फर्जी तथ्यो के आधार पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोल कर उक्त वाद प्रस्तुत कर एक पक्षीय डिक्री प्राप्त की है। इस कारण एक तरफा जारी डिक्री निरस्त किया जाना आवश्यक है।

2 यह कि उक्त प्रकरण में पत्रावली दिनांक–21.02.2019 को जवाब एवं तलबी हेतु लम्बित थी, प्रतिवादी सख्या–3 नाथी बेवा कालु जो की उन्ही दिनो लकवाग्रस्त हो गये थे, जिसको लेकर हम दोनो पुत्र प्रतिवादी सख्या 1 व 2 करीब 7–8 माह आवरीमाता जी मंदिर में सेवा–चाकरी कर रहे थे, इस दौरान हम न्यायालय में उपस्थित नही हो सकें, करीब सात–आठ माह सेवा करने के बाद हमारी माता का देहावसान हो गया एवं उनके सामाजिक क्रियाक्रम करने के उपरान्त देश में कोरोना महामारी व्याप्त हो गई। हम प्रतिवादीगण मजदुर पेशा व्यक्ति है, कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक व्यवस्था बिगडने की वजह से हम रोजगार कार्य हेतु मुम्बई महाराष्ट्र दुध डेयरी पर कार्य करने हेतु चले गये थे, इस कारण हम प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही हो सकें। न्यायालय में उपस्थित नही होने का समुचित् कारण है। विधि सुस्थापित नियमो के अनुसार हम प्रतिवादीगण को अपने जवाबदावा एवं गवाह प्रस्तुत करने का अधिकार है, उक्त पत्रावली में हम प्रतिवादीगण की ओर से जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित रह गये है, वादीया ने कलम सख्या–एक में वर्णित तथ्यो के अनुसार न्यायालय के समक्ष अधुरी जानकारी प्रस्तुत करते हुऐ दावा हम प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एक तरफा डिक्री करवाया है, जिसमें हम अपना जवाब, साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने के अधिकारी है जिस कारण हम प्रतिवादीगणो को पुनः उक्त प्रकरण में सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त पत्रावली में प्रतिवादी सख्या–3 का निधन हो गया था, जिसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में हम प्रतिवादीगण को सूचित नहीं किया गया था और न ही संशोधित् शीर्षक प्रस्तुत किया गया था, जिस कारण भी उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है। उक्त वाद में हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा आदेश दिनांक–09.09.2024 को आप न्यायालय आदेशित किया गया है जिसकी हकरसी हेतु मियाद भी अभी तक पूरी नही हुई है, न ही वादीया की ओर से कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है, मियाद से पूर्व वादीया द्वारा आप न्यायालय के आदेश को राजस्व कर्मचारीयो के पांस पहुंचा कर उक्त आदेश की पालना करवाई जा रही है जो विधि विरूद्ध होने की वजह से न्यायालय आदेश की पालना को स्थगित की जाना आवश्यक है। वादग्रस्त जायदाद काफी मूल्यवान होने से हमारे खिलाफ हुई एक तरफा डिक्री से हमे भारी आर्थिक क्षति हो रही है एवं वाद का विचारण हमें सुने बिना निस्तारण कर डिक्री पारित की है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested

अपास्त होने योग्य है। हमारी उपस्थिति में वाद की विधिवत् सूनवाई करने से वादीया को कोई क्षति होने की कोई संभावना नही है।

3 अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक–09.09.2024 को जारी की डिक्री एवं निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण की पुनः विधिवत् सूनवाई की जावें। ताईद में शपथ–पत्र प्रस्तुत है।

4 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा जो एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई थी वह विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप हुई होकर सही हैं। मुझ वादीयां द्वारा न तो प्रतिवादीगण को धोखे में रखकर उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, न ही झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया था। मुझ वादीयां के पिता द्वारा कभी भी कोई हक त्याग प्रतिवादीगण के पक्ष में नही किया गया था और कानूनन भी उक्त जायदाद पैतृक सम्पत्ति होने के कारण मुझ वादीयां के पिता के नाम अंकित कुलिया हिस्से को मुझ वादीयां के पिता को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार नही था जिससे भी उक्त तथाकथित हक त्याग मुझ वादीयां के हक अधिकारों के मुकाबले कोई प्रभाव नही रखता हैं। मुझ वादीयां द्वारा वर्ष 2012 में अवश्य ही न्यायालय में एक वाद व प्रार्थना पत्र उक्त कृषि भूमि को लेकर प्रस्तुत किया गया था किन्तु उक्त मामले में मुझ वादीया का प्रतिवादीगण से कभी कोई राजीनामा नही हुआ था, न ही राजीनामा के आधार पर मुझ वादीया की ओर से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र को नोट–प्रेस किया गया था। जहां तक उक्त वाद व प्रार्थना पत्र के नोट प्रेस किये जाने का प्रश्न है उस सन्दर्भ में मुझ वादीया का निवेदन है कि मुझ वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त वाद व प्रार्थना पत्र को मेरे अधिवक्ता द्वारा किन्ही कानुनी कारणों के चलते वादीया के नये वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए विड्रो किया गया अर्थात इनमें कोई भी कार्यवाही होना शेष नहीं रही थी जिससे वादीया अपने अधिकारों के रक्षार्थ नया वाद करने की पूर्ण रूप से कानुनन अधिकार रखती थी जिस वजह से वादीयां ने सभी कानुनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में नया दावा किया जिसका वादीयां को कानुनन पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वादीयां द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये दावे में कोई भी तथ्य न तो मिथ्या अंकित था, न ही कोई तथ्य छुपाया था बल्कि वादीयां ने सभी वास्तविक एवं सही कथनों को अंकित करते हुए दावा न्यायालय में किया जिसे न्यायालय द्वारा डिक्री फरमाया गया। जो कि पूर्ण रूप से विधि अनुरूप था। उक्त मामले में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 द्वारा तलबी होने के पश्चात् दिनांक 17.11.2015 को जरिए अधिवक्ता श्री कमलेश जैन के अपनी उपस्थिति माननीय न्यायालय में दर्ज करवाई थी और जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जिसके पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण को अनेको अवसर प्रदान किये गये फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया जिसके बाद दिनांक 28.06.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को स्वतः बन्द की शर्त पर अंतिम अवसर प्रदान कर दिनांक 20.08.2017 की पेशी प्रदान की गई किन्तु दिनांक 20.08.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही किये जाने से प्रतिवादीगण के जवाबदावा का अवसर बन्द कर न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश नही किया। पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है अतः जवाबदावा पेश नही करने पर जवाबदावा का अवसर बन्द किया जाता हैं। प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 नाथी के सम्बन्ध में उसकी मृत्यु के अलावा जो भी कथन अंकित किये है वे सभी बनावटी एवं मनगढन्त हैं। प्रतिवादीगण को वर्ष 2015 से इस मामले के बारे में प्रकट रूप से जानकारी रही है फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर अनेको अवसर प्राप्त करने के बाद भी जवाबदावा पेश नही किया और अब अपनी लापरवाही को छिपाने के लिये इस कलम में इस तरह के बनावटी व मनगढन्त अंकित किये है। प्रतिवादीगण व इनके अधिवक्ता जानबुझकर हस्तगत प्रकरण में दिनांक 20.07.2023 से नियमित रूप से अनपुस्थित रहे और करीब 8–9 पेशीयों पर अनुपस्थित रहने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया और नियमानुसार प्रकरण में आगे की कार्यवाही कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निर्णित किया जो शुरू से आखिर तक प्रतिवादीगण की जानकारी में रहा था। प्रतिवादीगण ने इस कलम में जिन कथनों का वर्णन किया है उनके सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये है जिससे भी प्रतिवादीगण के ऐसे मौखिक कथनों को माना जाना सम्भव नही हैं। अब निर्णय होने के बाद न्यायालय का मुल्यवान समय बर्बाद करने एवं वादीयां को प्रताड़ित करने की नियत से इस तरह के मनगढन्त व बनावटी कथन कर यह आवेदन कर दिया जो कि किसी भी अवस्था में स्वीकार किये जाने योग्य नही हैं। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर पूर्णतया विधि अनुरूप एकपक्षीय कार्यवाही की और आगे की कार्यवाही पूरी की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1, 2 स्वयं इस मामले में पक्षकार थे और जरिए अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रखी थी तथा प्रतिवादी संख्या 3 के वारिस भी यही थे, जिससे प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु पश्चात् इन्हे अलग से सूचित करने की कोई आवश्यकता कानुनी तौर पर नही थी, न ही संशोधित शीर्षक की बाध्यता थी। प्रतिवादीगण ने न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को गलत ठहराने के उद्देश्य से इस तरह के भ्रामक कथन अंकित किये गये जो कि स्वीकार योग्य हैं। प्रतिवादीगण चतुर एवं चालाक किस्म के है जो जानबुझकर लम्बे समय तक प्रकरण की कार्यवाही में भाग लेने से बचते रहे और एक्सपार्टी होकर निर्णय पारित होते ही इस तरह के बनावटी कथन अंकित करते हुए यह मिथ्या प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रतिवादीगण इस मामले में होने वाली प्रत्येक कार्यवाही की प्रत्यक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pumadia
Date: 2025.07.14 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested

रूप से जानकारी रही थी फिर भी जानबुझकर अनुपस्थित रहे। ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होकर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने लायक हैं। न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो भी कार्य किये गये है वे सभी न्यायालय आदेश के अनुरूप होकर विधिवत थे क्योंकि न्यायालय के आदेश की पालना किये जाने में किसी भी न्यायालय से रोक नही थी। न्यायालय के निर्णय के पश्चात् निर्णय व डिक्री अनुसार रेवेन्यु रेकर्ड में पालना हो चुकी है जिससे वर्तमान में वादीयां के हक हिस्से की भूमि बतौर खातेदार काश्तकार वादीयां के नाम पर अंकित हो चुकी है जिसका वादीया निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। एक्सपार्टी की जानकारी कब, किस दिनांक को हुई, पत्रावली की नकल कब प्राप्त की, ये सारे कथन अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी अंकित नही किये हैं। जबकि ऐसे मामलों में अनुपस्थिति के एक एक दिन की जानकारी का अंकन किया जाना आवश्यक हैं। इसके अलावा प्रतिवादीगण ने लम्बे समय से चली आ रही अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में न तो कोई ठोस कारण बताया, न ही कोई पर्याप्त तथ्य अंकित किये है तथा प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया उक्त प्रार्थना पत्र विधिवत प्रारूप में भी नही है। ऐसी अवस्था में यह आवेदन स्वीकार योग्य नही हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे व मुझ वादीयां को प्रतिवादीगण से 10,000/— दस हजार रूपये खर्चे के दिलाया जावें। ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति केवल किसी को परेशान करने के लिए निर्णित मामले को जीवित करने का प्रयास नही करे और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने के लिए उन पर विशेष खर्चा लगाया जाना न्याय संगत है।

5 प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि पक्षकार ग्रामीण परिवेश के होने से इन्हे कानून की जानकारी नही थी। विपक्षी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हक हिस्से को हम प्रार्थीगण के पक्ष मे रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से हक त्याग कर दिया। जिसकी जानकारी विपक्षी संख्या 1 को थी। अधिवक्ता द्वारा पेशी दिनांक से सूचित नही करने से प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। जिसके कारण विपक्षी संख्या 1 द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर वाद डिक्री करवा लिया। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फमरया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2024 निरस्त फरमाई जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2014 पेज नम्बर 427, आरआरडी 2014 पेज नम्बर 559, आरआरटी 2022 पेज नम्बर 185, डीएनजे 2021 पेज नम्बर 408 आरआरटी 2020(1) सीवील टाईम्स (राज.) पेज नम्बर 296, 2021(1) डीएनजे (आरईवी.) पेज नम्बर 140, आरआरटी (2025)(1) पेज नम्बर 587 प्रस्तुत किए। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में जो प्रस्तुत किया गया उसकी जानकारी प्रार्थीगण को थी। प्रार्थीगण की ओर से प्रकरण में अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। तत्पश्चात प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं स्वयं प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई। न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेकर वाद को विधिवत डिक्री किया गया। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 को नाजायज तरीके से परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे भारी खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

6 हमने उपस्थित उभयपक्षो के अधिवक्तागण की बहस पर चिन्तन व मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। व्याख्या से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–13 के प्रावधानो का प्रकरण मे अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–13 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

13. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना–– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवदेन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहाँ तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा :

परन्तु जहाँ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहाँ वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी :

[परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।] 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 59 द्वारा 01.02.1977 से जोड़ा गया।

[स्पष्टीकरण –– जहाँ इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार पर से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहाँ एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा।] 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 59 द्वारा 01.02.1977 से जोड़ा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 देउबाई द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। अधिवक्ता एवं स्वयं प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 05.09.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। आगामी पेशी दिनांक 09.09.2024 को वादीया के अधिवक्ता द्वारा बंटवाड़े का अनुतोष विड्रो कर लिया एवं साक्ष्यवादी के तहत दस्तावेजात प्रदर्श करवाए जाकर निर्णय पारित किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण को कानून की जानकारी नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त कर दिया था। हम हमारी माता लकवा ग्रस्त हो जाने से उनका ईलाज करवाने लग गए। जिसके कारण एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी गई। वादीया/विपक्षी संख्या 1 पिता वसा द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपने हक हिस्से को प्रार्थीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से हक त्याग कर दिया गया था। जिसकी फोटोप्रति प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है। वादीया द्वारा उक्त तथ्य वाद में अंकित नही किया गया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। इस संबंध में प्रार्थीगण को कोई सूचना नही दी गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी पूर्व में वर्ष 2012 में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा पुनः वाद वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण के पास रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र होने से उनके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए प्रार्थीगण को सुना जाना आवश्यक है जिससे उनके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़े। हमारे मत में पक्षकार ग्रामीण परिवेश के होने से कानून की जानकारी नही होती है। जिसके कारण अपने अधिवक्ता के संपर्क में नही रह पाते है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग से संबंधित नए तथ्य भी प्रस्तुत किए है। इसलिए यदि प्रकरण में जारी एक पक्षीय डिक्री को निरस्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर तथा जवाब दावा लेकर तनकी कायम कर पक्षकारो के बयान लिये जाकर प्रकरण में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाता है तो किसी भी पक्षकार को अशोधनीय क्षति भी नहीं होगी। पक्षकारों के हक व अधिकारों पर कोई कुठाराघात भी नहीं होगा । इसलिये प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने को हम न्यायहित में आवश्यक मानते है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा नही होते है।

: : आदेश : :

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] नियम 13 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया [illegible] प्रकरण सं[illegible] 246/15 वाद उनवान देऊ डांगी

उनवान प्यारा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2024 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण में जवाब दावा लिया जाकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करने के आदेश दिए जाते है। पक्षकरान को जरिये अधिवक्ता सूचित किया जाता है कि न्यायालय हाजा में दिनांक 08.07.2025 को मूल वाद में उपस्थित रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:27:47 IST
Reason: SelfAttested